अभियंता प्रमुख का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जयनगर के ज्ञापांक–933 अनु0 दिनांक–13.07.2020 द्वारा सूचित किया गया है कि **संवेदक सरोज कुमार, ग्राम–हरिहरापुर, थाना–पुपरी, जिला–सीतामढ़ी, बिहार (निबंधन संख्या–2161562/2016)** को एम0आर0(3054) योजनान्तर्गत पीपरा टोला से लसकरिया टोल पथ का निर्माण कार्य आवंटित किया गया था। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ करने की तिथि–21.12.2018 एवं कार्य समाप्ति की तिथि–20.09.2019 निर्धारित थी। संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया गया। कार्यपालक अभियंता के पत्रांक–657 दिनांक–21.05.2020 द्वारा संवेदक को कार्य पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया, परन्तु संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण करने हेतु कोई अभिरूचि नहीं ली गई। अंततः एकरारनामा के प्रावधान का उल्लंघन करने के कारण विषयगत कार्य के एकरारनाम सं0–34एम0बी0डी0/2018–19 को कार्यपालक अभियंता के पत्रांक–912 दिनांक–04.07.2020 द्वारा विखंडित किया गया तथा संवेदक को कालीसूची में शामिल करने की अनुशंसा की गई।

प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक–2607 दिनांक–12.08.2020 द्वारा संवेदक से इस संबंध में 07 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गयी। संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण का उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया, इससे स्पष्ट होता है कि इस संबंध में संवेदक को कुछ नहीं कहना है। विभागीय समीक्षोपरांत संवेदक को कालीसूची में डालने का निर्णय लिया जाता है।

अतएव क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में **संवेदक सरोज कुमार, ग्राम–हरिहरापुर, थाना–पुपरी, जिला–सीतामढ़ी, बिहार (निबंधन संख्या–2161562/2016)** को बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या–8123 दिनांक–19.12.2007 के कंडिका–11 (क) उप कंडिका–VI में निहित प्रावधानों एवं बिहार सरकार पथ निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश संख्या–154 दिनांक–18.06.2015 के कंडिका–8 के उप कंडिका–1 (a) **(कार्य एकरारनामा को Rescind किये जाने पर)** निहित प्रावधानों के आलोक में 10 (दस) वर्षों के लिए विभागीय काली सूची में डाला जाता है।

(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः—मु0अ0–04(मु0) काली सूची–34–33/2020 – 3762 /पटना, दिनांक–29/9/20

प्रतिलिपि :– **संवेदक सरोज कुमार, ग्राम–हरिहरापुर, थाना–पुपरी, जिला–सीतामढ़ी, बिहार (निबंधन संख्या–2161562/2016)** को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः— मु0अ0–04(मु0) काली सूची–34–33/2020 – 3762 /पटना, दिनांक–29/9/2020

प्रतिलिपि :– सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

(217)

ज्ञापांकः–– मु0अ0–04(मु0) काली सूची–34–33/2020 – 3762 /पटना, दिनांक–29/9/20

प्रतिलिपि :– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(ह0) 25/09/2020

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–– मु0अ0–04(मु0) काली सूची–34–33/2020 – 3762 /पटना, दिनांक–29/9/2020

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह0) 25/09/2020

अभियंता प्रमुख